निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 98/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ललिता रावत पत्नी स्व॰ श्री गोपाल लाल रावत (मृतक दौराने दावा)

1/1. अविनाश पुत्र स्व॰ श्री गोपाल लाल रावत

1/2. राकेश पुत्र स्व॰ श्री गोपाल लाल रावत

1/3. रविश पुत्र स्व॰ श्री गोपाल लाल रावत

1/4. डॉ॰ रत्ना पुत्री स्व॰ श्री गोपाल लाल रावत

1/5. बबीता पुत्री स्व॰ श्री गोपाल लाल रावत

समस्त जातियान महाजन निवासीगण प्लाट नं॰ 40–41 मुरली मनोहर जी के मन्दिर के सामने, हनुमान वाटिका, बास बदनपुरा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. नकुल धामाणी पुत्र श्री बनवारी धामाणी जाति महाजन निवासी मकान नं॰ 951 धामाणी मार्केट, चौडा रास्ता, जयपुर, राजस्थान ।
2. अनूप अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम नारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी ब्रह्मपुरी, शिवाजी चौक, जयपुर, राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 79/2019 व उनवानी ललिता रावत बनाम नकुल धामाणी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हेमन्त कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री धीर सिंह राजपूत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के दिनांक 27.11.2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। उक्त उनवानी वाद में वादीगण द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 138 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0600 है॰ वाके ग्राम झालाना डूंगर पटवार हल्का जगतपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास तहसील

सांगानेर जिला जयपुर में उनके अभिभाजित 1/2 हिस्से की भूमि बाबत तकास्मा एव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनाक 27.11.2019 को पारित कर दिया गया। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जबाब पेश हुआ। जिसका जबाब उल जबाब वादीगण/प्रार्थी पेश किया गया तथा प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की उपस्थिति बाबत विचाराधीन रहा लेकिन कई पेशियां गुजर जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उपस्थित नहीं हुये जिस पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने उनके विरूद्व कोई एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित नही किये। दिनांक 6.11.2020 को वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 एवं 14 दीवानी प्रकिग्रा संहिता का पेश किया गया जिस का कोई जबाब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस की गई तथा साथ ही साथ प्रकरण में अति तीव्रता दर्शाते हुये उसी दिन अर्थात दिनांक 6.11.2020 को दोपहर 12.30 बजे ही प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के मौखिक आदेश पारित करते हुये वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं बहस टी आई सुनाने के लिए कहा गया । जिस पर वादीगण को अत्यन्त ही आश्चर्य हुआ लेकिन उनके अधिवक्ता ने न्यायालय के मौखिक आदेश को मानते हुये प्रर्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 सी पी सी पर ही बहस सुने जाने का निवेदन पीठासीन अधिकारी से किया लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने से पूर्व ही न्यायिक प्रकिया का घोर दुरूपयोग करते हुये अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस टी आई सुन ली तथा प्रकरण दिनांक 19.11.2020 को वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र एवं वादी अधिवक्ता की बहस टी आई हेतु नियत कर दिया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मात्र 0.0003 है॰ कृषि भूमि अर्थात 363 वर्गगज भूमि में सुधा सागर नामक कालोनी कैसे काटी जा सकती है और अमुक कालोनी का पटटा अप्रार्थी संख्या 1 कैसे प्राप्त कर सकता है। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता कथनों को नजर अन्दाज करते हुये कहा कि सब कुछ सम्भव है। आप तो बहस टी आई कीजिए। जिस पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस टी आई करने से साफ इंकार कर दिया और सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी पर आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया । प्रार्थी अपने अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जैसे ही न्यायालय से बहार निकल कर आया तो उसने अप्रार्थी को अपने अधिवक्ता ये कह कहते सुना कि चिन्ता की कोई बात नही है, मेरी साहब से बात हो गई और वह प्रार्थीगण के दौनों प्रार्थना पत्र खारिज ही करेंगे। उनकी यह बात सुन कर तथा पीठासीन अधिकारी के दिनांक 06.11.2020 के रवैये तथा दिनांक 19.11.2020 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अत्यन्त ही अल्प पेशी अर्थात दिनांक 24.11.2020 दिये जाने से प्रार्थी को अब युक्ति युक्त रूप से यह भय व आशंका हो गई है कि अप्रार्थी संख्या 1 की पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ है अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने वाला नही है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में मिले

जिला कलक्टर
जयपुर

हुये है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री धीर सिंह राजपूत ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी तलब की गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 79/2019 व उनवानी ललिता रावत बनाम नकुल धामणी व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर में मुन्तकिल किया जाता है।

6. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में सुनवाई हेतु दिनांक 04.01.2021 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

17/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर